राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	3956/2025	राहुल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कुल शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।
2.	3957/2025	लखन	
3.	3958/2025	सुरेश चंद	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कुल शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, अलवर।

आदेश की दिनांक : 26.08.2025

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एक समान है। इसलिए समस्त अपीलों में यह समान आदेश पारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3956/2025 राहुल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।

3. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.07.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, jhalatala, वैर, जिला भरतपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेड़ली गुर्जर, ब्लॉक वैर, जिला भरतपुर स्थानांतरित/पदस्थापित कर दिया गया है। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 23.07.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेड़ली गुर्जर में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनका कथन है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खिजुरी, ब्लॉक रूपवास, भरतपुर में अध्यापक ग्रेड III लेवल 1 के पद रिक्त हैं। अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान उसके निवास स्थान से 45 कि.मी. दूर स्थित है एवं पंचायत मुख्यालय पर रहने की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी का दूरस्थ पदस्थापन किये जाने से अपीलार्थी को विभिन्न

परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 08.08.2025 (अनुलग्नक–4) जारी कर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं और इसलिए अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–3) और उसे निकटवर्ती पदस्थापन स्थल आवंटित करने का अनुरोध किया है। परन्तु अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेश दिनांक 22.07.2025 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को उसके निकटवर्ती विद्यालय में पदस्थापित किया जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
7. मूल आदेश अपील संख्या 3956/2025 में रखा जावें एवं इसकी छाया प्रति अन्य दोनों अपीलों में सलंग्न की जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य